-प्रेस नोट-

दिनांकः 03-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा बाद मुठभेड़ 01 पशु चोर/गोकश अभियुक्त घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 01 खोखा/02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 चोरी की मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट तथा गौकशी के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ हेतु लगातार संघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 02.02.2024 की रात्रि में जब थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा दाऊदपुरा पुलिया पर चैकिंग की जा रही थी तभी ग्राम बाबैल की तरफ से 01 बिना नम्बर प्लेट मोटरसाइकिल पर 02 व्यक्ति आते दिखायी दिये । संदिग्ध प्रतीत होने पर मोटर साइकिल सवारों को पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा किया गया, इस पर मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा अचानक से पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया गया। कुछ दूरी पर जाकर बदमाशों की मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। जब पुलिस टीम द्वारा आत्मसमर्पण हेतु कहा गया तो पुनः बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 01 बदमाश को बाएं पैर में गोली लग गयी, जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है । इसका एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा । घायल बदमाश की पहचान **अब्दुल सत्तार उर्फ काना पुत्र जिन्दा हसन निवासी लखनौती थाना गंगोह जनपद सहारनपुर हाल निवासी मौहल्ला सड़क पार कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई है । **यह बदमाश थाना इन्द्री जिला करनाल, हरियाणा से पशु चोरी व हत्या के प्रयास का वांछित अभियुक्त है।** अभियुक्त के कब्जे से 01 तमन्चा देशी मय 02 जिंदा/01 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 मोटर साइकिल प्लेटिना रंग काला व सिल्वर (चोरी की) जिसका इंजन नम्बर DZUBVB18646 व चैसिस नम्बर MD 2DDDZZZVPB38346 व गौकशी के उपकरण(दो छुरे, एक रेती, 01 कुल्हाडी, 01 लकडी का गुटका, 01 रस्सी लाल रंग की) बरामद हुए। अभियुक्त के विरूद्ध जनपद सहारनपुर व हरियाणा राज्य में करीब दो दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। फरार अभियुक्त की तलाश हेतु काम्बिंग की जा रही है। **अभियुक्त अब्दुल उपरोक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है, जो पूर्व में कई बार गम्भीर अपराधों मे जेल जा चुका है।** गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0सं0 36/2024 धारा 307,414 भादवि 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम अब्दुल व 01 अन्य के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

विवरण पूछताछः- अभियुक्त अब्दुल उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि मै और मेरा साथी रात्रि में आवारा घुमते पशुओं को पकड लेते है और जंगल में सुनसान जगह ले जाकर गौकशी कर देते है और मांस को आस-पास मुस्लिम बस्तियों में बेच देते है जिससे हम लोगों को अच्छी कमाई हो जाती है। आज भी हम लोग गौकशी करने जा रहे थे। जब मैं और मेरा साथी उसके घर से मोटरसाइकिल लेकर निकले और बेहट की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ग्राम ताजपुरा से आगे दाऊदपुरा पुलिया पर पुलिस चैकिंग कर रही थी तो हम लोगों को पुलिस ने रूकने का ईशारा किया और पुलिस टीम से बचने के लिए हम लोगों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया था और बाबैल पावर हाउस की तरफ भाग लिये जहाँ पर पुलिस टीम ने हम लोगो को घेर लिया तथा हमने फिर से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी फायरिंग में मेरे पैर में गोली लग गयी। यह देखकर मेरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर वहाँ से भाग गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- अब्दुल सत्तार उर्फ काना पुत्र जिन्दा हसन निवासी लखनौती थाना गंगोह जनपद सहारनपुर हाल निवासी मौहल्ला सड़क पार कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 देशी तमंचा 315 बोर

- 02 जिंदा/01 खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 मोटरसाइकिल प्लेटिना रंग काला व सिल्वर (चोरी की)
- गौकशी करने के उपकरण(दो छुरे, 01 रेती, 01 कुल्हाडी, 01 लकडी का गुटका, 01 रस्सी लाल रंग की)

अभियुक्त अब्दुल सत्तार उर्फ काना का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 507/18 धारा 380, 411, 420 भादवि व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना को0 देहात
2. मु0अ0सं0 66/16 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना
3. मु0अ0सं0 115/22 धारा 307/34 भादवि थाना नानौता
4. मु0अ0सं0 117/22 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना ननौता
5. मु0अ0सं0 118/22 धारा 420, 465 भादवि थाना नानौता
6. मु0अ0सं0 228/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना नानौता
7. मु0अ0सं0 208/17 धारा 307, 379, 411भादवि व 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बेहट
8. मु0अ0सं0 242/21 धारा 21, 8 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट
9. मु0अ0सं0 290/19 धारा 307/ भादवि व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बेहट
10. मु0अ0-सं0 293/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट
11. मु0अ0सं0 336/23 धारा 379, 411 भादवि थाना बेहट
12. मु0अ0सं0 460/19 धारा 2, 3 गैंगस्टर अधि0 थाना बेहट
13. मु0अ0सं0 02/17 धारा 3/5ए/8 सीएएक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना सरसावा
14. मु0अ0सं0 118/23 धारा 120-B, 307, 465 भादवि व3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा
15. मु0अ0सं0 233/23 धारा 379, 411 भादवि थाना थाना सरसावा
16. मु0अ0सं0 240/23 धारा 307, 465 भादविव 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा
17. मु0अ0स0 250/23 धारा 307 भादवि व 25, 27, 3 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा
18. मु0अ0स0-47/2024 धारा-380 भादवि थाना इन्दरी जनपद करनाल हरियाणा
19. मु0अ0स0-49/2024 धारा-457,380 भादवि थाना इन्दरी जनपद करनाल हरियाणा
20. मु0अ0स0-51/2024 धारा-457,380 भादवि थाना इन्दरी जनपद करनाल हरियाणा
21. मु0अ0स0-61/2024 धारा-380,511,307,34 भादवि थाना इन्दरी जनपद करनाल हरियाणा
22. मु0अ0स0-557/2023 धारा-379 भादवि थाना को0नगर यमुनानगर जनपद यमुनानगर हरियाणा।
23. मु0अ0स0-36/2024 धारा 307,414 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बेहट सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
2. व0उ0नि0 श्री मेहर सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री केदार सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 521 सुनील राणा थाना बेहट जिला सहारनपुर।
5. है0का0 586 राजीव पंवार थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
6. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
7. का0 1767 पिंकरपाल सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
8. एचसी 151 बबूराम थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 03-02-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर से हत्या के अभियोग में वांछित (गैंगस्टर/शातिर लुटेरा) अभियुक्त बाद मुठभेड़ घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध पिस्टल, 03 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस .32 बोर एवं चोरी गई 01 मोटरसाइकिल बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड हेतु संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग व गश्त की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक बडगाँव परविंदर पाल सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना बडगांव पुलिस द्वारा दिनांक 02.02.24 की रात्रि को थाना बडगांव पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग के दौरान बिना नंबर की काले रंग की मोटरसाइकिल हीरो एच एफ डीलक्स पर सवार 01 व्यक्ति को पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया परन्तु मोटरसाइकिल सवार द्वारा अचानक से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर बेलडा नहर पटरी पर भागने लगा, पुलिस पार्टी द्वारा पीछा करने पर भाग रहे बदमाश की मोटरसाइकिल असंतुलित होकर गिर गयी। पुलिस पार्टी द्वारा जब अभियुक्त को आत्मसमपर्ण हेतु कहा गया तो भाग रहे बदमाश ने गन्ने के खेत में घुस कर पुनः पिस्टल से पुलिस पार्टी पर फायर किया जिसके बाद पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी जिसे पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान **गौतम उर्फ़ आज़ाद पुत्र अजनवीर निवासी ग्राम सलेमपुर थाना पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर** के रूप में हुई है। अभियुक्त को सीएचसी नानौता उपचार हेतु भर्ती कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्त हत्या के प्रकरण में थाना मंसूरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 22/2024 धारा 302/34 भादवि का वांछित अभियुक्त है। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना बडगांव पर मु०अ०स० 26/24 धारा 307/414/411 भादवि 3/25/27 शस्त्र अधि पंजीकृत किया गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त के कब्जे से थाना नागल के मु0अ0स0 120/23 धारा 379 भादिव से सम्बन्धित मोटरसाईकिल बरामद हुई है। यह शातिर अपराधी पूर्व में कई बार गम्भीर अपराधों मे जेल जा चुका है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त गौतम उर्फ आजाद उपरोक्त ने बताया कि 31.12.2023 को किंग्स विला 7, NH 58 निकट जडौदा अड्डा में मैं अपने दोस्त अनुभव की शादी में अपने दोस्तो के साथ गया था। वहां पर मैने अपने दोस्तो के साथ शराब पी थी। शादी में लडका पक्ष की तरफ से ही आये हुए निखिल नाम के युवक के साथ कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर मैने अपने अन्य दोस्तो के साथ मिलकर पिस्टल से गोली मारकर निखिल की हत्या कर दी। उसके बाद हम वहां से भाग गये।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त का नाम व पता:-

गौतम उर्फ़ आज़ाद पुत्र अजनवीर निवासी ग्राम सलेमपुर थाना पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर।

<u>बरामदगी का विवरण:-</u>

- 01 पिस्टल 0.32 बोर मय 03 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस
- 01 मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स रंग काला बिना नंबर प्लेट

<u>अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-</u>

1. मु0अ0स0 129/19 धारा 395/412 भादवि थाना बहादराबाद जनपद हरिद्वार
2. मु0अ0स0 199/19 धारा 394 /411 भादवि थाना कनखल जनपद हरिद्वार
3. मु0अ0स0 201/19 धारा 25 शस्त्र अधि० थाना कनखल जनपद हरिद्वार
4. मु0अ0स0 293/19 धारा 2(ख)(1)(2)/3 गैंगस्टर अधि० थाना बहादराबाद जनपद हरिद्वार
5. मु0अ0स0 421/17 धारा 147/148/149/323/504/506/307 भादवि थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार
6. मु0अ0स0 22/24 302/34 भादवि थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-</u>

1. श्री परविंदर पाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री बिजेंद्र शर्मा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3. है०का० 16 सोनू थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
4. है०का० 269 भगत थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
5. का० 2378 सनी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
6. एचजी 2077 सतीश थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 03-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ सहारनपुर पुलिस द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग करने के मामलों में 01 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 03.02.2024 को थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग करने के मामले में अन्तर्गत धारा 151/107/116 सी0आर0पी0सी0 में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. राजेन्द्र पुत्र तेलूराम निवासी थापुल थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. विकाश पुत्र राजेन्द्र निवासी थापुल थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. धर्मवीर सिहं पुत्र बल्लू निवासी थापुल थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
4. राजपाल पुत्र बल्लू सिंह निवासी थापुल थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री योगेन्द्र चौधरी थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 745 दीपक मावी थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर।
3. का0 2014 राहुल कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 03-02-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 नशा तस्कर अभियुक्तो गिरफ्तार, कब्जे से 20 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व नशीले पदार्थो की बिक्री पर रोकथाम एवं नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अमर पाल शर्मा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 03.02.24 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा गश्त व चैकिंग के दौरान 02 नशा तस्कर **अभियुक्तगण 1. माजिद पुत्र कमरू निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर व 2. नितिन पुत्र ब्रहम सिंह निवासी ग्राम कुराली थाना नकुड़ जिला सहारनपुर** को 20 ग्राम नाजायज स्मैक सहित राधास्वामी सत्संग भवन के पास भूषण लाला का आम का बाग से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 23/24 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अभियुक्त माजिद व अभियुक्त नितिन उपरोक्त कई बार अन्य थानो से भी जेल जा चुके है ।

अभियुक्त माजिद उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मै पढा लिखा नही हूँ तथा अभियुक्त नितिन उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैने बी0एस0सी0 कर रखी है। दोनो ने एक स्वर मे बताया कि हम दोनो साथ मिलकर हरियाणा राज्य से एक व्यक्ति से स्मैक खरीद कर बेचने के लिये लाये थे, जिसका नाम पता हम नही जानते है। हम लोग राह चलते व्यक्तियों को स्मैक बेच देते है जिससे हम लोगों को अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः –

1. माजिद पुत्र कमरू निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर
2. नितिन पुत्र ब्रहम सिंह निवासी ग्राम कुराली थाना नकुड़ जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

09 ग्राम स्मैक (अभि0 माजिद उपरोक्त से बरामद)
11 ग्राम स्मैक (अभि0 नितिन उपरोक्त से बरामद)

अभियुक्त माजिद उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 125/23 धारा 21/29/8 एन0डी0पी0एस0 एक्ट चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2.मु0अ0सं0 349/19 धारा 135 विधुत अधिनियम चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
3.मु0अ0सं0 524/17 धारा 102/41 सीआरपीसी व 411/414 भादवि चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
4.मु0अ0सं0 23/24 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त नितिन उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 518/21 धारा 25/3 आयुध अधिनियम चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2.मु0अ0सं0 471/22 धारा 307 भादवि चालानी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3.मु0अ0सं0 472/22 धारा 25/3 आयुध अधिनियम चालानी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
4.मु0अ0सं0 23/24 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट चालानी थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. है0का0 320 तरुण गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर
5. है0का0 363 जितेन्द्र थाना नकुड जनपद सहारनपुर
6. है0का0 971 राशिद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

दिनांक: 03.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 13.12.2023 को वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र बावत अभियुक्तगण 1.आसिफ पुत्र असरू उर्फ असरूद्दीन निवासी न्यामू थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर 2.सावेज पुत्र झफरू निवासी जटौल थाना देवबन्द जिला सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करने के सम्बन्ध मे थाना नांगल पर मु0अ0सं0 320/23 धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन मे,अपराध की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी नांगल श्री सतपाल भाटी के कुशल नेतृत्व में थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा आज दिनाँक 03.02.2024 मुखबिर की सूचना पर 01**अभियुक्त आसिफ पुत्र नसरू निवासी न्यामू थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर** को चरखी ग्राम कोटा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आसिफ पुत्र असरू उर्फ असरूद्दीन निवासी न्यामू थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल भाटी थाना नांगल जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 रविन्द्र नागर थाना नांगल जिला सहारनपुर।
3. का0 1926 अमित कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर।

दिनांकः- 03.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से 14 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम,अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष सरसावा श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर चैंकिग के दौरान 01अभियुक्त **राधाकान्त उर्फ राधे पुत्र जगपाल नि0 ग्राम गदरहेडी थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को नकुड रोड हाईवे ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से कुल 14 बोतल देशी शराब रसीला सन्तरा हरियाणा मार्का बरामद हूई। बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0स0 28/24 धारा 63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मै कम पढा लिखा हूँ।ज्यादा मुनाफा कमाने के लिये देशी शराब सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रो में अधिक दाम पर बेच देता हूँ ।आज भी मैं शराब बेचने जा रहा था तभी पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.राधाकान्त उर्फ राधे पुत्र जगपाल नि0 ग्राम गदरहेडी थाना सरसावा जिला सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण -

14 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. का0 1497 मोनू थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3.का0 2312 राजू कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 03.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 15 किलोग्राम डोडा , 80 ग्राम अफीम , 01 मोटरसाईकिल व 01 मोबाइल फोन बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष सरसावा श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा आज दिनांर 03.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर चैंकिग के दौरान 02 **अभियुक्तगण 1.तासीन पुत्र जमील तेली निवासी ग्राम जगैता नजीब थाना सरसावा जिला सहारनपुर 2.धर्मवीर पुत्र समय सिह नि0 ग्राम सतीवाला थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** को कारण गिरफ्तारी बताते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का पालन करते हुए शाहजहांपुर तिराहे,नकुड़ रोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 15 किलो डोडा , 80 ग्राम अफीम ,01 मोटरसाईकिल पैशन प्रो नं0 UP11BD 7712 तथा 01 मोबाइल फोन बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 – 27/2024 धारा 8/15/18/29/60(3) एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम कम पढे लिखे हैं व नशा करने के आदि हैं। अधिक मुनाफा कमाने के लिये डोडा व अफिम को सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रो में अधिक दाम पर बेच देते हैं।जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.तासीन पुत्र जमील तेली निवासी ग्राम जगैता नजीब थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

2.धर्मवीर पुत्र समय सिह नि0 ग्राम सतीवाला थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त तासीन का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0स0 – 361/23 धारा 60आ0अधि0 थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

2. मु0अ0स0 - 27/24 धारा 8/15/18/29/60(3) एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

15 किलो ग्राम डोडा, 80 ग्राम अफीम,01 मोटरसाईकिल पैशन प्रो नं0 UP11 BD 7712 तथा01मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिह, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

2. है0का0 892 अजय राठी सिह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

3. है0का0 1050 नितिन थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

4.हे0का0 1006 तरूण त्यागी थाना सरसावा सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 03-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 नाजायज छुरे सहित 02 शातिर अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार, मोटरसाइकिल धारा 207 एमवी एक्ट मे किया गया सीज

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध नियन्त्रण व शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 03.02.20224 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 02 शातिर **अभियुक्तगण 1. अंकित उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र पप्पल नि0 ग्राम मिर्जापुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर व 2. विवेक पुत्र ओमपाल नि0 ग्राम मिर्जापुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को नन्दपुरी ईट के भटटे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 02 नाजायज छूरे बरामद हुए तथा अभियुक्तगण के कब्जे से मिली मोटरसाइकिल स्पलैण्डर प्लस रजि0 न0 UP-11-BB-5359 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट मे सीज किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 19/24 धारा 4/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत कियी गयी। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम अपनी सुरक्षा व लोगों को डराने के लिए अपने पास छुरे रखते है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

1. अंकित उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र पप्पल नि0 ग्राम मिर्जापुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. विवेक पुत्र ओमपाल नि0 ग्राम मिर्जापुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

02 अदद नाजायज छूरे
01 मोटरसाइकिल स्पलैण्डर प्लस (अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट मे सीज)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनल नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री सचिन पूनिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. का0 272 संदीप थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 03-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा पीडित के खाते से साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी गयी 35000/- रुपये की रकम करायी गयी वापस

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में साईबर अपराधो की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबंद श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व् में थाना देवबन्द साईबर सैल टीम द्वाराआज दिनांक 03.02.2024 को पीडित अमरीश पुत्र कालाराम निवासी बहादरपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की साईबर शिकायत, संख्या 23111223010684 जिसमें दिनांक 06.11.2023 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा काल करके फर्जी ऐप डाउलोड कराकर पीडित के 46,367/- रूपये बैंक खाते से ट्रांसफर करा लिये थे। उपरोक्त प्रकरण में थाना देवबन्द साईबर सैल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मे **पीडित उपरोक्त** के साइबर फ्रॉड मे गये **35000/- रुपये** वापस कराये गये। पीडित द्वारा थाना देवबन्द साईबर टीम का आभार व्यक्त किया गया है।

साईबर ठगी के रूपये वापस कराने वाली साईबर टीम-

1. धर्मेन्द्र गौतम प्रभारी निरीक्षक थाना देवबन्द सहारनपुर।
2. व0उ0नि0 अजय कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।
3. उ0नि0 आरिफ अली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. कम्प0 आप0 रूपेन्द्र सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर।
5. म0का0 हिमानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर पर अपनी 1930शिकायत दर्ज कराये।